GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2466
TO BE ANSWERED ON 14.12.2015

Promotion of Sanskrit Language

2466. SHRI MAHEISH GIRRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Ministry has evolved a strategy to promote learning of Sanskrit and Indian languages in their respective State Universities;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the measures taken by the Government to promote teaching of Sanskrit language in public and private schools in the country?

ANSWER
MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SMT. SMRITI ZUBIN IRANI)

(a) & (b) The State Universities are autonomous bodies and governed by the relevant Act Statutes & Ordinances and are competent to take decisions on Academic matters. However, this Ministry has constituted a Committee on 18.11.2015 under the chairmanship of Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, to suggest a long term vision and roadmap for the development of Sanskrit which is to submit its report within three months from its constitution. Another Expert Committee on Language was constituted on 29.12.2014 for giving its recommendations for deciding the Comprehensive Language Policy for the country, which is to submit its report within one year from its constitution.

(c) Does not arise.

(d) In Schools affiliated to CBSE in all States, Sanskrit is introduced in class VI on optional basis. Interested students can further study Sanskrit as a subject for the next four years i.e. in classes IX to XII.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2466
उत्तर देने की तारीखः 14.12.2015

संस्कृत भाषा का संवर्धन

2466. श्री महेश गिरीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत और भारतीय भाषाएं सीखने को संवर्धित करने के लिए एक समिति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) देश के सरकारी और निजी स्कूलों में संस्कृत भाषा के शिक्षण का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): राज्य विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और संबंधित अधिनियम विधानों और अध्यादेश के तहत शासित हैं और वे शैक्षिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस मंत्रालय ने संस्कृत के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन और रोड-मैप पर सुझाव देने के लिए कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2015 को समिति का गठन किया है, जो गठन के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देश में एक व्यापक भाषा नीति निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29.12.2014 को एक दूसरी भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति अपने गठन के एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): सभी राज्यों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संस्कृत को कक्षा-VI में वैकल्पिक आधार पर शुरू किया गया है। इच्छुक छात्र अगले चार वर्षों अर्थात कक्षा-IX से XII तक संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं।

*****